

श्रीमति अण्णा वनेराह बनाम कौजाराव वनेराह प्रकरण राजस्व आंश संख्या 35/2018

17.12.2018

अपीलांटस के वकील उपस्थित। प्रकरण में अपीलांटस के वकील को 16.04.2017 से आज दिनांक तक रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन पेश करने हेतु निर्देश दिये जाते रहे हैं लेकिन अपीलांटस के वकील ने रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन पेश नहीं किये हैं। अपीलांटस के वकील द्वारा आज दिनांक को आदेशिका में No Instruction plead की टिप्पणी अंकित की है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9(2) के तहत अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है। अपीलांटस को पुनः अपील पेश करने के अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

जिला कलेक्टर

जालौर

17.12.2018
17.12.2018